

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



बिहार BIHAR

601 खंडगढ़ मिश्रा सा। मेन रोड तुखा टोली बक्सर
धाना का मिश्रा - बक्सर
बालक - लीज

AH 814577

रमेश कुमार
स्टाम्प मेंडर बक्सर
सा० नं०-617-8
5.5.22

ATTESTED
NOTARY BUXAR

लीज (Lease)

न० 1 लेख्यकारी (प्रथम पक्ष) का नाम - श्रीमति संघ्या मिश्रा पति
प्रेम कुमार पता- तुखा टोली मेन रोड बक्सर, याना - बक्सर,
जिला-बक्सर, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यवसाय भारतीय नागरिक है।
आधार नं०- 6908 3222 2854



5.5.22

रमेश कुमार

नं० 2 लेख्यधारी (द्वितीय पक्ष) का नाम - न्यास माँ सरस्वती शैक्षणिक संस्थान बक्सर जो अरविन्द प्रिंटिंग प्रेस मेन रोड बक्सर, तुरहा टोली जिसका संचालक श्रीमति संध्या मिश्रा पति प्रेम कुमार पता- तुरहा टोली मेन रोड बक्सर, थाना - बक्सर, जिला-बक्सर, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यवसाय भारतीय नागरिक है।
आधार नं०- 6908 3222 2854

नं० 3 विलेख का प्रकार - लीज (Lease) जिसका अवधि 30वर्ष के लिए होता है।


नं० 4 लीज का किराया - 5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रति माह होता है।

नं० 5 सम्पत्ति का विवरण - 01ए0-58डी0 (एक एकड़ अनठवन डीसमील) मौजा - दहीवर, थाना - बक्सर, अंचल-बक्सर, थाना नं०-373, जिला- बक्सर राज्य - बिहार

नं० 6 भूमि का प्रकार - व्यवसायिक वो परती

खता	प्लॉट	रकबा	चौहदी
31	118/123	01ए0-58डी0	30- हरिनन्दन सिंह द0- अवधेश मिश्रा पु0- ग्रामीण सड़क प0- श्रीकृष्ण सिंह वगैरह

मिजान - 01ए0-58डी0 (एक एकड़ अनठवन डीसमील) लीज करते



श्रीकृष्ण मिश्रा

चूँ लेख्यकारी (प्रथम पक्ष) उपरोक्त एराजी खरीदगी है जिस पर लेख्यकारी (प्रथम पक्ष) काबीज दाखिल चली आती है। लेख्यधारी (द्वितीय पक्ष) लेख्यकारी से आग्रह किया कि उपरोक्त एराजी 01ए0-58डी0 (एक एकड़ अनठवन डीसमील)पर लीज पर ट्रस्ट के लिए लेख्यधारी के पक्ष में खोलने के लिए लीज पर दीजिए।

लेख्यकारी ने लेख्यधारी के आग्रह को मानकार नीचे दिये गये शर्तों के आधार पर उपरोक्त एराजी लीज पर दिये।

1. लेख्यकारी ने लेख्यधारी को उपरोक्त एराजी 30वर्ष के लिए दिया जो लेख्यधारी को कबूल है।
2. लेख्यकारी ने उपरोक्त लीज 5000/- (पाँच हजार रुपये) प्रति माह के लिए लेख्यधारी को दिया।
3. उपरोक्त एराजी का मालगुजारी वो नगरपालिका टैक्स सलाना लेख्यकारी अदा करेंगे। इसे लेख्यधारी को मतलब नहीं रहेगा।
4. उपरोक्त एराजी पर किसी तरह का बिजली बिल मीटर का उपयोग होगा उसका सारा खर्च लेख्यधारी की होगी।
5. उपरोक्त एराजी पर कोई क्षति घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी लेख्यधारी की होगी।
6. उपरोक्त एराजी का लीज प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 5000/- (पाँच हजार रुपया) के बाद प्रत्येक तीन वर्ष पर लीज राशी का 03 प्रतिशत का बढ़ोतरी रहेगी। जिसका भुगतान लेख्यधारी करेंगे।
7. यह कि समय के अवधी पुरा होने पर उपरोक्त जमीन लेख्यकारी को लौटा देंगे।
8. उपरोक्त एराजी में जो कुछ भी निर्माण रहेगा एवं मशीनरी प्लांट रहेगा वह जमीन छोड़ते समय लेख्यधारी अपना प्राप्त कर लेंगे।
इससे लेख्यकारी को सरोकार नहीं रहेगा। जो लेख्यकारी को कबूल है।
अगर लेख्यधारी का समय के अवधी के पहले करोबार सफल नहीं होत है तो उपरोक्त एराजी लेख्यकारी को लौटा देंगे। उस समय तक लीज का हिसाब-किताब कर लेंगे।

शंकर (सिफ)



10. दोनों पक्षों के सहमती से लीज का समय कि अवधी तालमेल ठीक रहने पर आगे बढ़ा सकते है।

11. यह लीज दिनांक 01.05.2022 से 30.04.2052 तक यानि 30वर्ष के लिए जायज रहेगा। दोनों पक्ष को कबूल है।

इस वास्ते सोच समझ कर होश हवास के साथ लेख्यकारी यह विलेख लीज लेख्यधारी के पक्ष में लिख दिया की समय पर काम आवे।

संस्था मित्रा
लेख्यकारी (प्रथम पक्ष)

संस्था मित्रा
लेख्यधारी (द्वितीय पक्ष)

गवाहो का नाम

1. [Signature]

2. Piyush Priyadarshi
संस्था मित्रा

प्रारूपकर्ता का हस्ताक्षर



ATTESTED
RKS
NOTARY PUBLIC
5.5.22

Rabiendra Kumar Tiwari
NOTARY DIST BUXAR 5599